राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/पीबी-43/2000/3220 दिनांक : 20.06.2000

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

गुरुनानक कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वीमेन, कपूरथला, पंजाब ने मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 40 सीटों की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 14.2.2000 को आवेदन किया था ।

समिति कार्यालय द्वारा सत्र 2000-2001 से अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 6-7 अप्रेल, 2000 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा उप-समिति द्वारा अनुमोदित एजेन्डा नोट की प्रति उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 12-13 अप्रेल, 2000 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए थे । समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार कमियाँ हैं अतः संस्था को निम्नांकित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए उक्त कमियों के संदर्भ में परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जाए ।

क्रसं.	पाई गई कमियाँ
(अ) कार्यरत पाठ्यक्रम में कमी	संस्था में 110 सीटों के लिए सभी अध्यापक नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए जबकि संस्था ने 5 तदर्थ एवं 2 अंशकालिक अध्यापक नियुक्त कर रखे हैं । तकनीकी स्टाफ भी नहीं है । इस प्रकार संस्था के पास वर्तमान में 110 सीटों के लिए जिनकी उसे मान्यता प्राप्त है। मानदंडानुसार 6 अध्यापकों की कमी है।
(ब) अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए कमी	अतिरिक्त सीटों के लिए परिषद् के नार्मस् एण्ड स्टेण्डर्स के पैरा 2.1, 2.2, 2.3, व 2.5 के अनुसार निर्धारित योग्यता व विषयों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/यू.जी.सी. के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण कालिक एवं नियमित वेतन श्रृंखला में चयनित रीडर/व्याख्याताओं की 1:10 के मानदंडों से कमी है। ना ही अब तक नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर रीडर/व्याख्याताओं का चयन कर उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलने पर कार्यग्रहण करने की सहमति प्राप्त की है ।

समिति के निर्णयानुसार संस्था को दिनांक 26.4.2000 को नोटिस क्रमांक राअशिप/उक्षेस /फ-3/पीबी-43/2000/892 जारी किया गया था । संस्था ने उपरोक्त नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक 4.5.2000 के द्वारा प्रेषित किया था । संस्था के लिखित अभ्यावेदन एवं संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 जून, 2000 को सम्पन्न हुई 26 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया । समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार पाई गई निम्नलिखित कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया जाए ।

-2-

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004
Jurisdiction: U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
Phone फोन : 0141-620511 Fax फैक्स : 91-141-620116

क्र.सं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को अतिरिक्त 40 सीटों के लिए मानदंडों के अनुसार 4 प्रवक्ता चाहिए। परिषद् मानदंडों के पैरा 2.2 के अनुसार निर्धारित योग्यता में मानदंडों के पैरा 5.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला के साथ 4 प्रवक्ताओं की कमी है। संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए 4 प्राध्यापक निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं, न ही पैरा 5.3 के अनुसार वेतन श्रृंखला देने का प्रस्ताव है।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार गुरुनानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन, कपूरथला, पंजाब द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में पाई गई उपरोक्त कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष अपील कर सकती है। अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(डॉ0 एस.एन. सैनी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स ,दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1) शिक्षा सचिव, पंजाब सरकार, शासन सचिवालय, चण्डीगढ़
2) डी.पी.आई. कॉलेज, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़
3) कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय
4) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5) प्राचार्य, गुरुनानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन,कपूरथला, पंजाब
6) कम्प्यूटर फाइल (उक्षेस)

क्षेत्रीय निदेशक